भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न  संख्यात : 315

उत्तंर देने की तारीख : 14 दिसम्बर, 2012

**केंद्रीय विद्यालय संगठन के अन्तर्गत शिक्षकों और**

**पुस्तकालयाध्यक्षों हेतु पदोन्नति के अवसर**

\*315. प्रो॰ अनिल कुमार साहनीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क)  क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन में पुस्तकालयाध्यक्षों और विभिन्न वर्गों के शिक्षकों को पदोन्नति के कोई अवसर प्राप्त नहीं हैं और उन्हें उसी पद से, जिस पर आरम्भ में उनकी नियुक्ति हुई थी, सेवा निवृत्त होना पड़ता है और इसके परिणामस्वरूप उन्हें बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता है;
(ख)  यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग)  क्या उन्हें उप-प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य के पदों हेतु विभागीय परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती है;
(घ)  यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ)  क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन पुस्तकालय संबंधी एक नई नीति पर विचार कर रहा है;
(च)  यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ)  सरकार पुस्तकालयाध्यक्षों और विभिन्न वर्गों के शिक्षकों हेतु पदोन्नति के अवसर सृजित करने के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम. एम. पल्ल म राजू)

(क) से (छ): एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

 \*\*\*\*\*

केंद्रीय विद्यालय संगठन के अन्तर्गत शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों हेतु पदोन्नति के अवसर के संबंध में माननीय संसद सदस्य  प्रो॰ अनिल कुमार साहनी द्वारा दिनांक 14.12.2012 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्नव संख्या1 315 के भाग (क) से (छ) के उत्त र में संदर्भित‍ विवरण।

(क) और (ख): शिक्षकों की विविध श्रेणियां जैसे कला/ड्राइंग, शारीरिक शिक्षा, कार्य अनुभव मं  प्रशिक्षित स्नालतक शिक्षकों (टीजीटी), योगा शिक्षकों, प्राइमरी शिक्षकों (संगीत) एवं पुस्तककालयाध्याक्षों के लिए पदोन्नटति के कोई अवसर नहीं है क्यों कि इन श्रेणियों में स्नाततकोत्तयर शिक्षक (पीजीटी)/प्रशिक्षित स्नाोतक शिक्षक का कोई पद नहीं है। तथापि, इन शिक्षकों के लिए सेवा के क्रमश: 12 एवं 24 वर्ष पूरा कर लिए जाने के बाद इन्हेंप वरिष्ठप वेतनमान एवं चयन वेतनमान प्रदान कर वित्ती1य प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। केन्द्रींय विद्यालय संगठन (केवीएस) में कुल संस्वीसकृत 40812 शिक्षण पदों में से पुस्तदकालयाध्य क्षों सहित विविध श्रेणी के 5653 शिक्षण पद है।

(ग) और (घ): केन्द्री य विद्यालय संगठन के भर्ती नियमों के अनुसार उप-प्रधानाचार्य के पद हेतु सीमित विभागीय परीक्षा में केवल स्नापतकोत्तदर शिक्षक ही भाग लेने के लिए पात्र हैं। कला/ड्राइंग, शारीरिक शिक्षा, कार्य-अनुभव के प्रशिक्षित स्नाैतक शिक्षक, योगा शिक्षकों, प्राइमरी शिक्षक (संगीत) एवं पुस्तिकालयाध्य क्ष, उप-प्रधानाचार्य के पद हेतु सीमित विभागीय परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है। प्रधानाचार्य के पद हेतु सीमित विभागीय परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है।

(ड.) और (च): नया नीतिगत दस्ताहवेज मसौदा स्त्र पर है।

(छ):  पुस्त कालयाध्यपक्षों सहित इन शिक्षकों के लिए सेवा के क्रमश: 12 वर्ष एवं 24 वर्ष पूरे कर लिए जाने के बाद वरिष्ठ् वेतनमान एवं चयन वेतनमान प्रदान कर वित्ती य प्रोत्सा:हन का प्रावधान किया गया है। केन्द्रीाय विद्यालय संगठन द्वारा विविध श्रेणी के शिक्षकों को चयन वेतनमान प्रदान करने हेतु उच्चीतर अर्हता प्राप्तठ करने संबंधी अर्हता मानदण्ड  को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने दिनांक 24.05.2011 के पत्र द्वारा हटा दिया है।

\*\*\*\*\*

Source: Rajya Sabha Q&A